



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226582
CG-DL-E-13042021-226582

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1479]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943

No. 1479]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2021

का.आ. 1590(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए फिरोजाबाद जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	शिकोहाबाद	जिजौली	129	0.0850
2			134	0.1450
3	फिरोजाबाद सदर	विजयपुर नगला भावसिंह	298	0.0850
4			296	0.0040
5			292	0.0380
6			291	0.0450
7			288	0.1000
8			278	0.0728
9			261	0.1700
10	फिरोजाबाद सदर	प्रेमपुर रैपुरा	977	0.0150

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2147]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टं.वि.)

MINISTRY OF RAILWAY**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2021

S.O. 1590(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Firozabad in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Nagar Magistrate, Firozabad, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Firozabad in the State of Uttar Pradesh.

S.No.	Name of Tehsil	Name of Village	Gata Number	Area (in Hectare)
1	2	3	4	5
1	Sikohabad	Jijoli	129	0.0850
2			134	0.1450
3	Firozabad Sadar	Vijaypur Nagla Bhav Singh	298	0.0850
4			296	0.0040
5			292	0.0380
6			291	0.0450
7			288	0.1000
8			278	0.0728
9			261	0.1700
10	Firozabad Sadar	Prempur Raipura	977	0.0150

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2147]

A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)